न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 68 / 2020

आई.डी.एफ.सी फर्स्ट बैंक लिमिटेड,
शाखा कार्यालय–2–6, 5th फ्लॉर, मन उपासना टावर,
सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम,
जयपुर (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1). श्री विपीन भार्गव पुत्र श्री उमाशंकर भार्गव,
पताः– 242 / 9, फर्स्ट फ्लॉर, डी–एच बिल्डिंग, हाथी भाटा, अजमेर (राज0), राज0–305001
दुसरा पताः–पार्ट ऑफ खसरा नं0 1665, ग्राम दौराई, तहसील व जिला अजमेर, राज0–305001

(2). श्रीमती शिल्पा भार्गव पत्नि श्री विपिन भार्गव,
पताः– 242 / 9, फर्स्ट फ्लॉर, डी–एच बिल्डिंग, हाथी भाटा, अजमेर (राज0), राज0–305001
दुसरा पताः–पार्ट ऑफ खसरा नं0 1665, ग्राम दौराई, तहसील व जिला अजमेर, राज0–305001

.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री उमराव बसीटा अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 20.03.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 26.09.2018 को कमशः रू. 10,00,000 / – (अक्षरे दस लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण / ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर, ग्राम दौराई, तहसील व जिला अजमेर (राज.) स्थित खसरा नं. 1665 का आवासीय भू–भाग, क्षैत्रफल 352.50 वर्गगज, जो श्री विपिन भार्गव पुत्र श्री स्व0 उमाशंकर भार्गव के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ :– पूर्व मेंः– श्री अली हुसैन का मकान, पश्चिम मेंः– श्री छोटू अली का मकान, उत्तर मेंः–रास्ता आम 20 फुट चौडा, दक्षिण में– श्री जगदीश चौधरी की भूमि है, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 01.10.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनाक 06.11.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये– 10,55,799.64 / – (अक्षरे दस लाख पचपन हजार सात सौ निनानवे रूपये एवं चौसठ पैसे) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति ग्राम दौराई, तहसील व जिला अजमेर (राज.) स्थित खसरा नं. 1665 का आवासीय भू–भाग, क्षैत्रफल 352.50 वर्गगज, जो श्री विपिन भार्गव पुत्र श्री स्व0 उमाशंकर भार्गव के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ :– पूर्व में:– श्री अली हुसैन का मकान, पश्चिम में:– श्री छोटू अली का मकान, उत्तर में:–रास्ता आम 20 फुट चौडा, दक्षिण में– श्री जगदीश चौधरी की भूमि है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 20.03.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर